

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. 2013/TG-I/20/P/PRS Ticket

New Delhi, dated 04.05.2016

**Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

Commercial Circular No.24 of 2016

Sub: Increase in size of PRS tickets.

In supersession of Commercial Circular No. 7 of 2015 dated 11.02.2015, the following is advised:-

- (i) The paper size of the ticket stationary will be $18\pm 0.2 \times 10\pm 0.2$ cm only.
 - (ii) The total printable area of the PRS ticket will uniformly be 15.6x9.6 cm.
 - (iii) The system printable area of the ticket shall remain the same as 12.7x7.2 cm. The area beyond 12.7x7.2cm up to 15.6x9.6 cm on front side of the ticket shall be available for advertisement.
 - (iv) Abridged general information as enclosed shall be published on the reverse side of the ticket covering maximum of 30 percent of the area and remaining 70 percent shall be used for advertisements.
 - (v) Zonal Railways will make all efforts to generate revenue by giving advertisements on the earmarked space on the ticket.
 - (vi) In exceptional cases when revenue by advertisement is not available, Zonal Railways will utilize the advertisement space for giving Railway related information/advertisement.
2. This issues with concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.
 3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Vikram Singh)

Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2013/TG-I/20/P/PRS Ticket

New Delhi, dated 04.05.2016

Copy to:-

1. FA&CAOs, All Zonal Railways.
2. Director (Audit), All Zonal Railways

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:-

1. ED/RS(G)
2. ED/C&IS
3. GM/PRS, CRIS
4. PPS to FC

REVISED GENERAL INSTRUCTIONS

- **PLEASE CARRY VALID IDENTITY PROOF**
 - **THIS TICKET IS VALID ONLY WITH TRAVEL AUTHORITY IF QUOTED**
 - **THIS TICKET IS NOT TRANSFERABLE**
 - **SENIOR CITIZENS SHOULD PRODUCE ON DEMAND SOME PROOF OF AGE DURING JOURNEY**
 - **DEPARTURE TIME PRINTED ON THE TICKET IS LIABLE TO CHANGE**
 - **PL. WRITE THE NAME AND PHONE NO. OF THE PERSON WHO COULD BE CONTACTED IN CASE OF EMERGENCY:**
-
- **TO REPORT UNSAVOURY SITUATION DURING JOURNEY PLEASE DIAL RAILWAY SECURITY HELPLINE NO. 182"**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टी जी-1/20/पी/पीआरएस टिकट

नई दिल्ली, दिनांक: 04.05.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 24

विषय: पीआरएस टिकटों का आकार बढ़ाना।

दिनांक 11.02.2015 को जारी 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 07 के अधिक्रमण में निम्नलिखित संसूचित किया जाता है:

- (i) टिकट स्टेशनरी के पेपर का आकार केवल $18\pm 0.2 \times 10\pm 0.2$ सेमी. होगा।
 - (ii) पीआरएस टिकट का कुल प्रिन्टेबल क्षेत्र समान रूप से 15.6×9.6 सेमी. रहेगा।
 - (iii) टिकट का सिस्टम प्रिन्टेबल क्षेत्र समान रूप से 12.7×7.2 सेमी. ही रहना चाहिए। टिकट के सामने 12.7×7.2 सेमी. से आगे के भाग से 15.6×9.6 सेमी. तक का भाग विज्ञापन के लिए उपलब्ध होगा।
 - (iv) टिकट के पिछले भाग में अधिकतम 30 प्रतिशत भाग में संलग्न संक्षिप्त सामान्य सूचना प्रकाशित की जाएगी और शेष 70 प्रतिशत भाग का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए किया जाएगा।
 - (v) क्षेत्रीय रेलें टिकट पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापनों को देकर राजस्व जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।
 - (vi) ऐसे आपवादिक मामलों में जहां विज्ञापन के जरिए राजस्व उपलब्ध न हो, क्षेत्रीय रेलें विज्ञापन के निर्धारित स्थान का उपयोग रेलवे से संबंधित सूचना/विज्ञापन देने के लिए करेंगी।
2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
 3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टी जी-1/20/पी/पीआरएस टिकट

नई दिल्ली, दिनांक: 04.05.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

12/5/16
कृते वित्त आयुक्त, रेल

संशोधित सामान्य अनुदेश

- कृपया वैध पहचान प्रमाण अपने पास रखें।
 - यह टिकट केवल यात्रा प्राधिकार के साथ ही वैध है, यदि इसका उल्लेख किया गया हो।
 - यह टिकट हस्तांतरणीय नहीं है।
 - वरिष्ठ नागरियों को यात्रा के दौरान मांगे जाने पर आयु संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए ।
 - टिकट पर मुद्रित प्रस्थान समय में परिवर्तन हो सकता है।
 - कृपया उस व्यक्ति का नाम एवं टेलीफोन नम्बर लिखें जिससे आपातकालीन स्थिति में संपर्क किया जा सकता है।
-
- यात्रा के दौरान विपदा स्थिति में कृपया रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नं. "182" डायल करें